लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/72/2011/488 भोपाल, दिनांक 13-7-11

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :— सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

—0—

म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम 6 एवं अनुसूची—चार में अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति का प्रावधान है। दिनांक 06.07.2011 को संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ संपन्न हुई विडियों कान्फ्रेसिंग में सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाए :—

1. जनपद पंचायत स्तर पर सहायक अध्यापकों की विषयवार वरिष्ठता सूची से जिला पंचायत स्तर पर संदर्भ सूची तैयार की जाए।
2. अध्यापक के पदोन्नति के विषयवार रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा पदोन्नति के रिक्त पदों की जानकारी पूर्व में जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।
3. ऐसे स्नातक सहायक अध्यापक जिनके स्नातक के विषय में विशिष्ट भाषा हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू अथवा संस्कृत के साथ कला विषय के इतिहास/ अर्थशास्त्र/ भूगोल/ राजनीति शास्त्र अथवा अन्य विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। वरिष्ठता सूची में उनके नाम संबंधित विशिष्ट भाषा की वरिष्ठता सूची के साथ सामाजिक विज्ञान की वरिष्ठता सूची में भी सम्मिलित रहेगें। विशिष्ट भाषा के आधार पर पदोन्नति प्राप्त होने पर यदि उनका नाम सामाजिक विज्ञान की वरिष्ठता सूची में भी है तो उसे वरिष्ठता के आधार पर किसी एक ही विषय में पदोन्नति प्राप्त होगी।
4. वाणिज्य विषय के साथ स्नातक सहायक अध्यापकों को पदोन्नति के लिए सामाजिक विज्ञान की वरिष्ठता सूची में उनके वरिष्ठता के क्रम में रखा जाए।

5. नगरीय निकाय अंतर्गत नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पचांयत में नियुक्तिकर्ता अधिकारी के स्तर पर पृथक–पृथक विषयवार वरिष्ठता सूची तैयार कर शासन द्वारा पदोन्नति हेतु उपलब्ध कराये गये पदों पर ही पदोन्नति की कार्यवाही की जाए।

11.7.11

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए/72/2011/489 भोपाल, दिनांक 13-7-11

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
4. समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.